



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08082024-256183
CG-DL-E-08082024-256183

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 444]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 7, 2024/श्रावण 16, 1946

No. 444]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 7, 2024/SHRAVANA 16, 1946

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

(पीएचआरडी प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अगस्त, 2024

सा.का.नि. 483(अ).—महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 की धारा 3 की उप-धारा 1(ड) के अनुसरण में, तथा भारत सरकार, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (पीएचआरडी प्रभाग) की दिनांक 14 मार्च, 2023 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 185(अ) के अधिक्रमण में केन्द्र सरकार, श्री सुनील कुमार सिंह, पूर्व सलाहकार (सांख्यिकी), पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के स्थान पर एतद्वारा डॉ. कमला कांत नाथ, सलाहकार (सांख्यिकी) पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय को तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश होने तक श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन प्राधिकरण के बोर्ड के एक पदेन सदस्य के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. एलबी-11013/1/2021-श्रम-भाग(2)]

संदीप गुप्ता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS**(PHRD Division)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 6th August, 2024

G.S.R. 483(E).—In pursuance of sub-section 1 (e) of Section 3 of the Major Port Authorities Act, 2021 and in supersession of the Notification of the Government of India, Ministry of Ports, Shipping & Waterways (PHRD Division) No. G.S.R.185(E) dated the 14th March, 2023, the Central Government hereby appoints Dr. Kamala Kanta Nath, Adviser (Statistics), Ministry of Ports, Shipping and Waterways, in place of Shri Sunil Kumar Singh, former Adviser (Statistics), Ministry of Ports, Shipping & Waterways, as an Ex-officio Member of the Board of Syama Prasad Mookerjee Port Authority with immediate effect and until further orders.

[F. No. LB-11013/1/2021-Labour-Part (2)]

SANDEEP GUPTA, Jt. Secy.